डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0/1515/2025 दिनांकः–20 .05.2025

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव,
(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)
श्री बाँके बिहारी जी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट,
गढ़ी थाना, शमशाबाद, आगरा। (कालेज कोड़–59)

विषयः– सत्र 2025–26 में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश पर रोक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा विश्वविद्यालय में प्रेषित पत्र दिनांक 09.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शपथ पत्र **IN-UP8535205205485X दिनांक 09-04-2025** संलग्न करते हुये महाविद्यालय में संचालित (बी0ए0, बी0एससी0 (बायों/मैथ) एवं बी0एससी0 कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रमों में सत्र 2025–26 में प्रबन्ध समिति में विवाद होने के दृष्टिगत नवीन प्रवेश पर रोक लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में मा0 कुलपति जी द्वारा सत्र 2025–26 में नवीन प्रवेश लिये जाने पर रोक लगाये जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये है। साथ ही महाविद्यालय पूर्व से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से नियमानुसार पूर्ण कराया जाना भी सुनिश्चित करे।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा–अलीगढ़ परिक्षेत्र, आगरा।
3. प्रवेश समन्वयक–2025–26 को इस आशय से प्रेषित की उक्त महाविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित न किया जाय।
4. अधीक्षक, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
5. ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की सूचना को आज ही महाविद्यालय लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

Affisvlett